न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12/143/2022
कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2022/446

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
श्री हंसराम यादव पुत्र श्री मंगलराम, नि0 ग्राम–कल्याणपुरा, तहसील–बहरोड, जिला–अलवर **हाल नि.** वार्ड नं.3, मु.पो. बनेठी, तहसील–कोटपूतली, जिला–जयपुर–303105		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

प्रवेश तिथि :: 13.10.2022

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 01.11.2022

1. उभयपक्ष अनुपस्थित, प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने सूचना आवेदन दिनांकः 27.08.2022 के माध्यम से पूर्व पत्र दिनांकः 27.06.2022 के माध्यम से बिन्दुवार सूचना चाही गई थी।
4. अपीलार्थी के आक्षेप/कथनानुसार प्रत्यर्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) में विहित समयावधि में अपीलार्थी को किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने अथवा किसी प्रकार के विनिश्चय से अवगत नहीं कराये जाने के कारण पत्र दिनांकः 03.10..22 के माध्यम से इस न्यायालय को प्रथम अपील संस्थित कराई गई है।
5. उक्त प्रथम अपील के अनुक्रम में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया। प्रत्यर्थी की ओर से पत्र सं. 2486 दिनांकः 28.10.22 के माध्यम से जवाब प्रस्तुत करते हुए प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की गई है।
6. अपीलार्थी के **सूचना आवेदन दिनांकः 27.08.2022**, प्रथम अपील दिनांकः 03.10.2022 एवं प्रत्यर्थी की ओर से प्राप्त जवाब नोटिस का परीक्षण किया गया।
7. प्रत्यर्थी से प्राप्त जवाब नोटिस अनुसार अपीलार्थी द्वारा सूचना आवेदन दिनांकः 27.08.2022 के माध्यम से वांछित जानकारी/सूचना एक से अधिक अनेकों कार्यालयों से संबंधित होने के कारण, अधिनियम की धारा 6(1)बी के आलोक में पत्र सं. 2346 दिनांकः 13.10.2022 के माध्यम से सूचना आवेदन खारिज कर अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है किन्तु सूचना आवेदन दिनांकः 27.08.2022 के परिप्रेक्ष्य में पत्र दिनांकः 13.10.2022 के माध्यम से सूचना प्रेषित किया जाना विलम्ब कारित प्रतीत होती है, भविष्य में अधिनियम में वर्णित प्रावधानानुसार अविलम्ब सूचना प्रेषण की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
8. तथापि उक्त आलोक में प्रत्यर्थी द्वारा, अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना प्रेषित कर दिए जाने के कारण अपील खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. आज दिनांकः 01.11.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया ।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर (राज.)